(3)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून
दूरभाष :–0135–2657610, वैबसाईट: ukfdc.uk.gov.in, ukfdceauction.in, ई–मेल: vanvikas12@gmail.com

पत्रांक – 2800 /13–1 (क) छपान दिनांक: 08 सितम्बर, 2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषय :– उत्तराखण्ड वन विकास निगम को पंचायती वनों से लौटों के आवंटन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपके कार्यालय का पत्रांक संख्या क–230/9–1(3) देहरादून दिनांक 23.08.2021

महोदय,

संदर्भित पत्र के कम में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है :–

- पंचायती वनों में उपलब्ध सूखे, उखड़े व अन्य वृक्षों की लौटों के आवंटन/निस्तारण सामान्यतः वन विकास निगम को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के वनों में हरे वृक्षों का पातन मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं 23.01.1998 से विनियमित है तथा सामान्य परिस्थितियों में कार्य योजना में अनुमन्य वृक्षों का ही पातन वन विभाग अथवा वन निगम के द्वारा किया जाता है।
- पंचायती वनों का सृजन पचांयती वन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के कम में ग्राम वनों के रूप में किया जाता है तथा इस पर किये गये प्रत्येक कार्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमति लेकर ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन सरपंच को पंचायत नियमावली के अन्तर्गत वन अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। अतः पंचायती वनों में वन विभाग द्वारा वन सरपंच की सहायता से किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य सक्षम स्तर से अनुमति के पश्चात् स्वीकृत माइक्रो प्लान के अन्तर्गत ही किया जाता है तो कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए।
- सामान्यतः पंचायती वनों में वन विकास निगम को पर्याप्त मात्रा में वन विभाग द्वारा वृक्षों का आवंटन नहीं किया जा रहा है तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि विगत पांच वर्षों में लगभग 240 लौट के

अन्तर्गत 14,656 घमी0 ही गिरे, सूखे एवं उखड़े वृक्ष निगम को विभाग द्वारा आंवटित किया गया है जो पर्याप्त नहीं है।

अतः अधोहस्ताक्षरी का यह स्पष्ट मत है कि वाणिज्यिक रूप से कम से कम 15 से 20 वृक्ष जो 20 से 30 सेमी0 व्यास वर्ग के ऊपर हों तथा मुख्य मार्ग से 3 से 5 किमी0 की दूरी पर हो एवं विकास के वे लौट जो पंचायती वनों से निकल रहे हैं उन्हे ही वन निगम को आवंटित किये जाएं। शेष के कम में यह प्रस्तावित किया जाता है कि इसे पंचायती वनों को ही आजीविका एवं अन्य विकास कार्य हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृत के अनुसूची दरों पर आवंटित किया जा सकता है।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक ए0 2800 (1) / तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः- प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/7/24

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक